न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 160/2019

1. रामधन पुत्र चरनसिंह
2. सुनीता पुत्री चरन सिंह
3. शान्ति पत्नि चरन सिंह जाति चमार निवासी ग्राम बयाना तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :– 22/04/2022

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 551/0.66 बांके ग्राम आलमपुर तहसील पहाडी में स्थित है। जमाबन्दी में दर्ज सहकाश्तकार रतन सिंह को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है क्योकि उनके खिलाफ कोई दादरसी नहीं चाही गई है। आराजी पूर्व में वादीगण के दादा घन्टोली पुत्र गोविन्दा की कब्जे काश्त की आराजी थी । दादा घन्टोली ने अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक खातेदार की हैसियत से काश्त की और उनके मरने के बाद वादीगण के पिता ने मुताबिक हिस्सा काश्त की और वादीगण के पिता के मरने के बाद अब वादीगण अपने–अपने हिस्से पर कब्जे काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड वादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में चला आ रहा है जो खिलाफ कानून है। वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज कर देना चाहिये था। इस प्रकार राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 14/02/22 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादीगण के बुजुर्गान गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे अब वादीगण का कब्जा काश्त है। मुताबिक कानून वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। मौके पर आराजी में फसल खडी हुई है । आराजी पर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकीह संख्या 1 :–</u> आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है। जिस पर वादीगण बुजुर्गान के समय से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है।

.......वादीगण

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया आराजी पर वादीगण पट्टेदार/गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

.......वादीगण

3 :– दादरसी ।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 रामधन , पी0डब्लू02 सुनीता ,पी0डब्लू0 3 शान्ति, पी0डब्लू0 4 नूर मौहम्मद, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2019–22, 2027–30, 2031–34, 2035–38, 2039–42,2048–51, 2060–63, 2068–71,,एवं नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2009–21, 2028–31, 2032–35, 2036–39,2044–47, 2048–51, 2052–55, 2058–59, 2060–63, 2064–67, 2068–71, पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या :– 1</u> आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है। जिस पर वादीगण बुजुर्गान के समय से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2019–22 में आराजी वादीगण के दादा घन्टोली पुत्र गोविन्दा की गैर मौरोसी की आराजी थी। घन्टोली के मरने के बाद आराजी विरासतन वादीगण के पिता चरनसिंह पुत्र घन्टोली के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई है। जो कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2048–51 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। अब हाल में वादीगण के नाम मुताबिक हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। संलग्न रिकॉर्ड से साबित है कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या :– 2</u> आया आराजी पर वादीगण पट्टेदार/गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3. **दादरसी** :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 551/0.66 बांके ग्राम आलमपुर तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/04/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 160/2019

1. रामधन पुत्र चरनसिंह
2. सुनीता पुत्री चरन सिंह
3. शान्ति पत्नि चरन सिंह जाति चमार निवासी ग्राम बयाना तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब वकील प्रतिवादीगण X मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 551/0.66 बांके ग्राम आलमपुर तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X ...... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/04/. सन् 2022 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत ....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	......			फीस कमिश्नर	......		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	....	4.00		मीजान	....		

Scanned with CamScanner